मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

सूचना का अधिकार
मैन्युअल

(1)

कार्य एवं कर्तव्य

उद्येश्य -

औद्योगिकीकरण तथा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसरों का सृजन।

उद्येश्यों की पूर्ति के लिए रणनीति

- ब्रांड एमपी स्थापित करना
- औद्योगिक अधोसरंचना का विकास
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- उद्योग संवर्धन नीति-उद्योगों को वित्तीय सहायता
- निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति
- शिकायत निवारण व्यवस्था

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत दो विभागाध्यक्ष है :-

1. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, वाष्पयंत्र, मध्यप्रदेश

वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड निम्नानुसार है :-

सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत :-

1. एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.
2. मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

एम.पी.आई.डी.सी. से संबध्द सहायक कंपनियां :-

- पीथमपुर ऑटो क्लस्टर
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
- पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड

अध्याय - (4)

कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

- मंत्रालयीन कार्य प्रणाली पुस्तिका
- म.प्र. शासन के कार्य (आवंटन) नियम
- म.प्र. कार्यपालक शासन के कार्य नियम

:- सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार ही कार्यप्रणाली।

अध्याय - (5)

नियम , विनियम , निर्देश , नियमावली और अभिलेख , कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।

सेवा संबंधी विभिन्न नियमों यथा मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किये गये निर्देश तथा अनुदेश एवं पुस्तिका सचिवालयीन मैनुअल, वित्तीय अधिकारी पुस्तिका तथा ट्रेजरी कोड के तहत विभाग का कार्य किया जाता है।

अध्याय - (6)

नियंत्रण में रखे गए अधिकारिक दस्तावेजों

सं. क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति एक पक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	नस्तियां	सचिवालय पुस्तिका के तहत संधरित की गई नस्तियां	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार	जो नस्तियाँ प्रचलन में हैं वे सक्षम प्राधिकारी जिसकी टेबल पर निराकरण होना है उसके पास उपलब्ध रहती है। जो नस्तियॉ प्रचलन में नहीं हैं वे मंत्रालय वल्लभ भवन क्रमांक 3 कक्ष क्रमांक डी 210 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रौत्साहन विभाग को आवंटित कक्ष में उपलब्ध रहती हैं तथा अनुभाग अधिकारी के प्रभार में रहती हैं।

अध्याय - **(7)**

नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व

विभाग की औद्योगिक नीति निर्माण करने से पूर्व प्रदेश के औद्योगिक संगठनों, सीआईआई, फिक्की, पीएचडी चैम्प, ऐसोचैम आदि संगठनों को से चर्चा कर विभागीय नीतियों का निर्माण

अध्याय - (9)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष नंबर/ईमेल पता
1	श्री मनीष सिंह	प्रमुख सचिव,	कक्ष क्रमांक D 204 VB - III द्वितीय तल	07555 - 2708661 pscomnind@mp.gov.in
2	श्री व्ही.के. बरोनिया	अपर सचिव,	कक्ष क्रमांक D 202 VB - III द्वितीय तल	0755 - 2708662 vijaybaronia@gmail.com
3	श्रीमती अंजू पवन भदोरिया	उप सचिव,	कक्ष क्रमांक D 211 VB - III द्वितीय तल	0755 - 2708666 anjup.bhadoriya@mp.gov.in
4	श्री तरूण कुमार कटारे	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	कक्ष क्रमांक D 205 VB - III द्वितीय तल	0755 - 2708677 Trkatare.65@mp.gov.in

कर्मचारियों की निर्देशिका

कक्ष - अ

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष नंबर/ईमेल पता
1	श्री जहीर खान	सहायक ग्रेड - 2	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	Zahir.khan@mp.gov.in
2	श्रीमती गीता सिंह	सहायक ग्रेड - 2	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	Singh.geeta@mp.gov.in
3	कु. सुरेखा सोमकुंवर	सहायक ग्रेड - 2	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	Surekha.somkuwar@mp.gov.in
4	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	Suresh.shrivastava@mp.gov.in
5	श्रीमती आकांक्षा तिवारी	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	Akansha.choudhary@mp.gov.in
6	श्री देवकिशन	दफ्तरी	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	

कक्ष - ब

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष नंबर/ईमेल पता
1	श्रीमती सुनीता खोंगल	सहायक ग्रेड - 1	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	2127
2	श्री यमुना प्रसाद शुक्ला	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	2128
3	श्री मोहम्मद अमीन	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	2123
4	श्री अजय नागेश	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	2119
5	कु. नीलम इवने	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	2126
	कु. राखी सोनी	सहायक ग्रेड - 3	कक्ष क्रमांक डी - 210 VB - III द्वितीय तल	2125

अध्याय - (10)

{(धारा 4 (1) (बी) (x) }

अधिकारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

स.क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम सगंठन	पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	श्री मनीष सिंह	प्रमुख सचिव,	
2	श्री ब्ही.के. बरोनिया	अपर सचिव,	
3	श्रीमती अंजू पवन भदोरिया	उप सचिव,	
4	श्री तरूण कुमार कटारे	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	

कक्ष - अ

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम सगंठन	पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	श्री जहीर खान	सहायक ग्रेड - 2	
2	श्रीमती गीता सिंह	सहायक ग्रेड - 2	
3	कु. सुरेखा सोमकुंवर	सहायक ग्रेड - 2	
4	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक ग्रेड - 3	
5	श्रीमती आकांक्षा तिवारी	सहायक ग्रेड - 3	
6	श्री देवकिशन	दफ्तरी	

कक्ष - ब

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम सगंठन	पारिश्रमिक प्रतिमाह
1	श्रीमती सुनीता खोंगल	सहायक ग्रेड - 1	
2	श्री यमुना प्रसाद शुक्ला	सहायक ग्रेड - 3	
3	श्री मोहम्मद अमीन	सहायक ग्रेड - 3	
4	श्री अजय नागेश	सहायक ग्रेड - 3	
5	कु. नीलम इवने	सहायक ग्रेड - 3	
6	कु. राखी सोनी	सहायक ग्रेड - 3	
7	श्री उमाशंकर केवट	जमांदार	

अध्याय - (12)

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध

उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रमुख वित्तीय सहायता :-

- राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता: टैक्स व्यवस्था को पृथक करते हुऐ सहायता।
- प्लांट एवं मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर 40 से 10 प्रतिशत की दर से निवेश प्रोत्साहन सहायता।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता 1.5 गुना की दर।
- प्राथमिकता विकास खंडों में स्थापित होने वाली इकाईयों को सहायता 1.2 गुना की दर से।
- रोजगार सृजन करने वाली इकाईयों को सहायता 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर।
- निर्यातक इकाईयों को सहयता 1 से 1.2 के बीच अनुपातिक आधार पर। ब्याज अनुदान - टेक्सटाईल परियोजनाओं को टफ्स (TUFS) अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान 5 से 7 प्रतिशत अधिकतम रू. 1 करोड़ प्रत्येक मद में।
- विद्युत टैरिफ में रू. 1 प्रति यूनिट की छूट (विद्युत नियामक आयोग के रिटेल विद्युत टेरिफ ऑर्डर अनुरूप)।

निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति :-

राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 के अंतर्गत निवेश प्रस्ताव पर कस्टमाईज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति का गठन किया गया।

निवेश प्रस्ताव :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति 03 बैठक आयोजित की गई, जिसमें रू. 10195.35 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को सैध्दांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृत परियोजना में लगभग 31027 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की निवेशकों से वन- टू- वन बैठक :-

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेशकों के साथ समय-समय पर बैठके आयोजित कर समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में निवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 :-

प्रदेश में विकसित/विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 लागू है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

- विकसित एवं विकसित की जाने वाली औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में 01 हैक्टेयर तक 75 प्रतिशत एवं 01 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत भूमि के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- औद्योगिक क्षेत्र में पट्टाग्रहिता वृहद इकाई को 05 प्रतिशत भूमि अधिकतम 05 एकड़ भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु, भवन निर्मित करने का प्रावधान किया गया है।
- उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयां जैसे लॉण्ड्री, स्टीम, नेच्युरल गैस, विद्युत प्रदाता इकाईयों को भूमि आवंटन, वृक्षारोपण हेतु अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
- इकाई द्वारा निर्धारित भू-भाटक का 10 गुना एकमुश्त जमा करने पर आगामी 20 वर्षों तक भू-भाटक से मुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- भूमि का अधिकारिक सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के लिये विकास के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिसमें निर्मित क्षेत्र अधिकतम 75 प्रतिशत एवं फर्शी क्षेत्रानुपालत (एफ.ए.आर.) अधिकतम 2 किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अध्याय - (13)

रियायतें, परमिट या के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान

उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रमुख वित्तीय सहायता :-

- राज्य निवेश प्रोत्साहन सहायता: टैक्स व्यवस्था को पृथक करते हुऐ सहायता।
- प्लांट एवं मशीनरी एवं भवन में किये गये निवेश पर 40 से 10 प्रतिशत की दर से निवेश प्रोत्साहन सहायता।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को सहायता 1.5 गुना की दर।
- प्राथमिकता विकास खंडों में स्थापित होने वाली इकाईयों को सहायता 1.2 गुना की दर से।
- रोजगार सृजन करने वाली इकाईयों को सहायता 1 से 1.5 के बीच अनुपातिक आधार पर।
- निर्यातक इकाईयों को सहयता 1 से 1.2 के बीच अनुपातिक आधार पर। ब्याज अनुदान - टेक्सटाईल परियोजनाओं को टफ्स (TUFS) अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये टर्मलोन पर ब्याज अनुदान 5 से 7 प्रतिशत अधिकतम रू. 1 करोड़ प्रत्येक मद में।
- विद्युत टैरिफ में रू. 1 प्रति यूनिट की छूट (विद्युत नियामक आयोग के रिटेल विद्युत टेरिफ ऑर्डर अनुरूप)।

निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद सिमति :-

राज्य शासन के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 के अंतर्गत निवेश प्रस्ताव पर कस्टमाईज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति का गठन किया गया।

निवेश प्रस्ताव :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक निवेश संवर्धन पर मंत्रि परिषद समिति 03 बैठक आयोजित की गई, जिसमें रू. 10195.35 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को सैध्दांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृत परियोजना में लगभग 31027 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की निवेशकों से वन- टू- वन बैठक :-

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निवेशकों के साथ समय-समय पर बैठके आयोजित कर समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में निवेश हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 :-

प्रदेश में विकसित/विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 लागू है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

- विकसित एवं विकसित की जाने वाली औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में 01 हैक्टेयर तक 75 प्रतिशत एवं 01 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत भूमि के मूल्य में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- औद्योगिक क्षेत्र में पट्टाग्रहिता वृहद इकाई को 05 प्रतिशत भूमि अधिकतम 05 एकड़ भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु, भवन निर्मित करने का प्रावधान किया गया है।
- उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयां जैसे लॉण्ड्री, स्टीम, नेच्युरल गैस, विद्युत प्रदाता इकाईयों को भूमि आवंटन, वृक्षारोपण हेतु अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।
- इकाई द्वारा निर्धारित भू-भाटक का 10 गुना एकमुश्त जमा करने पर आगामी 20 वर्षों तक भू-भाटक से मुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- भूमि का अधिकारिक सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों के लिये विकास के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं, जिसमें निर्मित क्षेत्र अधिकतम 75 प्रतिशत एवं फर्शी क्षेत्रानुपात (एफ.ए.आर.) अधिकतम 2 किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अध्याय - (14)

इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना

इलेक्ट्रॉनिक	(विवरण) साइट योजक/स्थान उपलब्ध हो आदि	सामग्री या शीर्षक	किसके द्‌वारा रखी गई जानकार के संरक्षक का पदनाम और पता
विभाग की विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की बेवसाईट www.mpindustry.gov.in पर तथा विभाग अधीनस्थ, म0प्र0 इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लि. भोपाल की योजनाओं की जानकारी invest.mp.gov.in पर, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, भोपाल की योजनाओं की जानकारी https://registrarfirms.mp.gov.in/ पर तथा संचालक वाष्पयंत्र संचालनालय भोपाल की योजनाओं की जानकारी db.mp.gov.in पर इलेक्ट्रानिक फार्मेट में उपलब्ध है।			

अध्याय - (15)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सुविधा	विवरण (सुविधा/नाम आदि का स्थान)	उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलेखों का निरीक्षण, वेब-साईट एवं दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है।		

अध्याय - (16)

सहायक लोक सूचना अधिकारी , लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम , पदनाम और अन्य विवरण

लोक प्राधिकरण का नाम :- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग।

लोक सूचना अधिकारी

सं. क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष		ई-मेल
			कार्यालय	आवास	
1.	श्री तरूण कुमार कटारे	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	0755 - 2708677	9425137232	trkatare.65@mp.gov.in

सहायक लोक सूचना अधिकारी

सं. क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष		ई-मेल
			कार्यालय	आवास	
1.	श्रीमती सुनीता खोंगल	सहायक ग्रेड - 1	0755 - 2127	8989568674	Sunita.khongal11@mp.gov.in

प्रथम अपीलीय अधिकारी

सं. क्र.	नाम	पदनाम	दूरभाष		ई-मेल
			कार्यालय	आवास	
1.	श्री ब्ही.के. बरोनिया	अपर सचिव	0755 - 2708662	9406955527	vijaybaronia@gmail.com

अध्याय - (17)

अन्य उपयोगी जानकारी

1	पुरस्कार	निरंक
2	वरिष्ठता सूची	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीनस्थ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की पदक्रम सूची दिनाकं 11.11.2022 द्वारा जारी की गई है एवं संचालक वाष्पयंत्र मध्यप्रदेश भोपाल के राजपत्रित अधिकारियों की पदक्रम सूची दिनांक 29.07.2022 जारी की गई है। (दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में।)
3	पदों की जानकारी	निरंक
4	विभागीय जाँच	-
5	सूचना का अधिकार अध्ययन रिपोर्ट	सामान्य प्रशासन विभाग अनुसार
6	थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट	
7	वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन	
8	पुस्तकालय	निरंक

अध्याय - (18)

निविदाएं - निरंक

अध्याय - (19)

सार्वजनिक निजी साझेदारी - निरंक

अध्याय - (20)

स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

औद्योगिक नीति विभाग के अधीनस्थ रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं मध्यप्रदेश के 03 कर्मचारियों के स्थानांतरण दिनांक 28.02.2022 द्वारा किये गये है। (आदेश की प्रति संलग्न है)

अध्याय - (21)

आर.टी.आई. आवेदन/आवेदन अपील प्राप्त एवं निराकरण दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 की में।

ऑफलाईन आवेदन		
कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
32	निराकृत	-
आनलाईन आवेदन		
कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
36	निराकृत	-

आवेदन अपील		
कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
निरंक	-	-

अध्याय - (22)

सीएजी और पीएसी पैरा - निरंक

अध्याय - (24)

डिस्क्रेशनरी और नॉन-डिस्क्रेशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान)

निरंक

अध्याय - (25)

सीएम /मंत्रियों / अधिकारियों के विदेशी दौरे

निरंक